

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

अपील संख्या : 1227, 1228, 1229,1230 एवं 1231 / 2015 / ..... जिला : अजमेर  
 मैसर्स अर्श विजन, नया बाजार, अजमेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, राजस्थान वृत-द्वितीय,  
 जयपुर व अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	----------------------------------	---

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य  
श्री मदन लाल, सदस्य

25.08.2015

अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त पाच अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 05.08.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन राजस्थान वृत-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.07.2015, जो अधिनियम की धारा 26, 55, 61 व 65 के तहत निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिये पारित किया गया है, में आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज राशियों पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर एवं ब्याज पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।


अ. सं.	कर	ब्याज	योग	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1227 / 15	97,159 / -	68,012 / -	1,65,171 / -	1,55,435 / -
1228 / 15	98,967 / -	57,401 / -	156368 / -	146471 / -
1229 / 15	1,20,600 / -	55,476 / -	176076 / -	1,47,004 / -
1230 / 15	4,51,381 / -	1,53,470 / -	604851 / -	5,59,713 / -
1231 / 15	15,036 / -	3308 / -	18344 / -	16,840 / -

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों में से शास्ति राशि पर स्थगन प्रदान कर अवशेष कर एवं ब्याज राशियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2015 में अंकित नहीं किया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली राशि अर्थात् कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों की



वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

  
 25.4.2015  
 (मदन लाल)  
 सदस्य

  
 (सुनील शर्मा)  
 सदस्य

क्र.सं.	नाम	पता	विवरण
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

...



